फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... जो ... तामी...
30.12.19	पत्रावली पेश। पेशकार द्वारा क्रमशः प्रस्तुत लिखित बहस का पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रस्तुत प्रकरण में अधिनियम [illegible] (अत्याचार) धाराएं विरुद्ध अभियोजित मुकदमा [illegible] स्वीकार करने के योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल मिसिल किया जाता है। पत्रावली इसी के साथ निर्णयार्थ होकर [illegible] है। आज यह आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 30/12/19	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना (जिला श्रीगंगानगर)
पीठासीन अधिकारी :- श्यामसुन्दर कुमावत

प्रकरण नं० 79/2011

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) घड़साना
प्रार्थी

बनाम

1. गुरूचरण, बलदेव सिंह, सुखदेव सिंह पिसरान जीतसिंह जाति बावरी साकिन कीकावाली तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ (राज०)
अप्रार्थीगण

उपस्थित :- 1. श्री सुभाष जाखड़ नायब तहसीलदार 365 हैड क० पेशकार राज्य
2. श्री संतपाल बिश्नोई वकील अप्रार्थीगण

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 177(1)(अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय :-

दिनांक 30/12/2015

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि तहसीलदार (राजस्व) घड़साना ने राजस्थान सरकार की ओर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177(1)(अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश करके निवेदन किया कि चक 2 पी.एम. II-बी. के पत्थर नं० 214/33 का 6.325

— लगातार-2

उपखण्ड अधिकारी घड़साना

इंदिरा कमाण्ड कृषि भूमि अप्रार्थीगण गुरचरण सिंह, बलदेव सिंह, सुखदेव सिंह पिसरान जीत सिंह जाति जाट सिख के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र की गई। पटवारी हल्का 9 पी.एस.डी.-क के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अप्रार्थीगण ने कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम का खनन का कार्य करके अकृषि कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा है जो कि बिना अनुमति से किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 (1) (अ) का उल्लंघन है अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अप्रार्थीगण को बेदखल किये जाने तथा अप्रार्थीगण की भूमि राजकीय भूमि मे समायोजित किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण को रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने बाद नोटिस तामिल न्यायालय मे जरिये वकील हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया और निवेदन किया कि अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि जो रेतीली किस्म की है जिस पर उनके द्वारा कृषि कार्य का ही प्रयोग किया जा रहा है अकृषि कार्य मे उपयोग नही ली जा रही है प्रार्थनापत्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट का विवरण को किया गया वह रिपोर्ट पटवारी हल्का ने साजीसाना, कूटरचित एवं गलत रिपोर्ट पेश की है। क्योंकि उक्त कृषि भूमि रेतीली किस्म की होने के कारण

प्रकरण सं० 79/2011

- 3 -

जिप्सम है ही नहीं ~~प्र~~ अप्रार्थीगण का जिप्सम का अवैध खनन करने का ~~[illegible]~~ प्रश्न ही पैदा नहीं होता है अप्रार्थीगण ने अनुकि कार्य के रूप मे उपयोग नहीं किया इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण ने अपने अतिरिक्त कथनो मे दर्ज किये की नहरी पानी की किल्लत को देखते हुवे कृषि भूमि मे फव्वारा पद्धति कृषि कार्य करना चाहते है, जिसके लिये अप्रार्थीगण ने एक डिग्गी की 14 गुणा 60 वर्ग फुट की खुदाई की थी इसी डिग्गी मे कोई जिप्सम नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थी की ओर श्री धनराम पटवारी हल्का बयान कराये जिन्होने दौरान PW1 के बयान साक्ष्य के रूप मे बताया कि भूमि खेती है जिसमे अप्रार्थीगण की भूमि रेतीली है जिसमे उ ~~[illegible]~~ किया की अप्रार्थीगण की भूमि ~~[illegible]~~ उनके स्थान ~~[illegible]~~ प्रकरण मे नीचे चूना हो भी सकता है ~~[illegible]~~ उनके स्थान मौका रिपोट कर जाकर भी तैयार की थी जिस दिन मौका देखा गया उस दिन अप्रार्थीगण मौके पर हाजिर नहीं थे पूरा रकबा समतल है एवं पानी लगने योग्य है अप्रार्थीगण द्वारा अपने रकबा मे सिंचाई हेतु 14 गुणा 60 वर्ग फुट की डिग्गी के लिए खुदाई की उसकी भूमि जोतकी नहीं है उक्त रकबा के आस पास के मुरब्बे (कृषि भूमि) मे लोग डग्गी बनाकर सिंचाई कर काश्त करते है लेकिन मैने आस पास के लोगो के बयान नहीं लिये क्योकि मौके के मौके पर कोई बयान नहीं लिये क्योंकि मैने खुद अवैध जिप्सम का खनन होते देखा था यह कहना गलत है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि मे ~~कि~~ फव्वारा पद्धति से सिंचाई करने हेतु

लगातार - 4

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

प्रकरण क्र. 79/2011

14 फुट 60 वर्गफिट गिट्टी की खुदाई कर रखी है और मैंने रजिस्टर्ड रजिस्टर इस गिट्टी की खुदाई का निरीक्षण कर अवैध खनन दर्शाया है।

अप्रार्थी की ओर साक्ष्य के रूप में अप्रार्थी सुखराम सिंह का शपथ पत्र पेश किया जिसमें उनके द्वारा जवाब प्रार्थना के तथ्यों को दोहराया और अवैध निर्गम खनन करने से इन्कार किया लेकिन यह कथन किया कि निरीक्षक पेशकार राजा ने अप्रार्थी व कृषि भूमि में उनके निजी पटवारी हल्का ने कृषि भूमि में अवैध निर्गम निकालने की रिपोर्ट गलत दी है क्योंकि उनके द्वारा अपनी कृषि भूमि लिखाई की है क्योंकि उनके द्वारा अपनी कृषि भूमि की खुदाई पद्धति हेतु गिट्टी के निर्माण के लिए भूमि की खुदाई की थी उक्त गिट्टी खुदाई के मजदूरी के दस्तावेज उनके पास नहीं है उक्त गिट्टी उसके खेत में पड़ी है बैंक लोन से सम्बन्धित के दस्तावेज का प्रयोग कर रहा है इसके अलावा कार्यवाही उनके द्वारा नहीं की गई है इसके अलावा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

उभय पक्षकारों के पेशकारों की बहस उभय पक्षकारों के मौखिक रूप से सुनी गई प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में मौखिक बहस हेतु मौका दिये जाने पर गया। लिखित बहस हेतु मौके दिये जाने पर पेशकार राजा ने लिखित बहस पेश की। व अप्रार्थी पेशकार राजा ने लिखित बहस पेश नहीं की पेशकार राजा ने लिखित बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। इसके पश्चात्‌ मैंने पत्रावली का अवलोकन किया और उभय पक्षकारों की बहस

लगातार 5

रघुनाथ
...क तहसीलदार
...

प्रकरण सं0 79/2011

— 5 —

को स्वीकार करने पर प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उचित पाया जाता है।

अतः मैं तहसीलदार (राजस्व) घड़साना के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 (वि) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार करते हुए चक 2 बी कुल II-बी का खसरा नं0 214/33 के किता नं0 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर कृषि भूमि खारिज किया जाता है। मैं तहसीलदार (राजस्व) घड़साना वर्तमान तहसीलदार (रावला) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम से खारिज करते हुए रकबा राज सरकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते हुए इस भूमि का कब्जा लेकर सरकार लेवे साथ ही इस भूमि में किसी भी प्रकार के विक्रय का अवैध हस्तान्तरण नहीं हो इस प्रकार सुनिश्चित करें। तहसीलदार को निर्णय की प्रति पत्र के साथ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 30/12/2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
30/12/19
(रामावतार कुमावत)
RAS

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Kumawat
Date: 2020.02.07 16:16:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: